

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 303/2023-24

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

श्री लौदा मुण्डा.....आवेदक/विक्रेता

श्री अनमोल कच्छप.....क्रेता

बनाम

राज्य सरकार.....द्वितीय पक्ष

} प्रथम पक्ष

14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित														
02.05.2024	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक श्री लौदा मुण्डा पिता स्व० बहा मुण्डा ग्राम-हेसाग, बरकारगी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के द्वारा निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु (online) आवेदन किया गया है:-</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <caption style="text-align: center;">भूमि का विवरण</caption> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">हेसाग</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">222</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">33</td> <td style="text-align: center;">117</td> <td style="text-align: center;">1.69</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">120</td> <td style="text-align: center;">1.25</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2.94</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक के द्वारा समर्पित किये गये आवेदन पत्र के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि आवेदक श्री लौदा मुण्डा पिता स्व० बहा मुण्डा ग्राम-हेसाग, बरकारगी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को ऋण की लेन दारी को चुकता एवं मकान मरम्मत वो अपने ईलाज हेतु राशि की आवश्यकता है जिस कारण वे प्रश्नगत भूमि को क्रेता श्री अनमोल कच्छप पिता सुनील कच्छप ग्राम-हेसाग, पो०-डुन्डीगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को विक्री करना चाहते हैं।</p> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे में है, को ऋण की लेन दारी को चुकता एवं मकान मरम्मत वो अपने ईलाज हेतु विक्री करना चाहते हैं। साक्ष्य के रूप में उनके द्वारा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं खतियान की छाया प्रति तथा लगान की रसीद सं० 0301612998 की छाया प्रति प्रस्तुत की गई।</p> <p>उपरोक्त अनुमति वाद के आलोक में आम नोटिस नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। उक्त भूमि की विक्री में किसी के द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)	हेसाग	222	33	117	1.69	120	1.25		2.94	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा(एकड़ में)												
हेसाग	222	33	117	1.69												
			120	1.25												
				2.94												



गई है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 953 दिनांक 14.12.2023 से प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि आवेदक के पूर्वजों की खतियानी भूमि है। खतियानी रैयत का नाम अशराम मुण्डा वगैरह है। आवेदक पंजी II रैयतों में से एक के पुत्र है। प्रश्नगत भूमि की ऑनलाईन पंजी II के भाग सं0 1 के पृष्ठ सं0 100 पर जमाबंदी दर्ज है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के जाँच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं एवं एक ही थाना के निवासी हैं। विक्रेता एवं क्रेता दोनों की ओर से एक थाना के निवासी होने एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य होने के प्रमाण में शपथ पत्र संख्या 58/04 दिनांक 24.04.2023 के साथ अंचल अधिकारी, खूँटी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र सं0- JHCST/2023/61075 दिनांक 23.02.2023 को अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र सं0- JHRC/2023/677291 दिनांक 25.02.2023 एवं आधार कार्ड की छायाप्रति दाखिल किया गया है, जो अभिलेख के साथ संलग्न है। उपरोक्त प्रमाण पत्रों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं तथा एक ही थाना के निवासी हैं। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदित भूमि की विक्री हेतु अनुशंसा किया है।

अतः अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 953 दिनांक 14.12.2023 के माध्यम से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं अभिलेख के साथ संलग्न कागजातों के आधार पर आवेदक श्री लौदा मुण्डा पिता स्व0 बहा मुण्डा ग्राम-हेसाग, बरकारगी, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी को क्रेता श्री अनमोल कच्छप पिता सुनील कच्छप ग्राम-हेसाग, पो0-डुन्डीगड़ा, थाना-खूँटी, जिला-खूँटी के साथ ग्राम हेसाग के खाता सं0 33, खेसरा संख्या क्रमशः 117, 120 रकबा क्रमशः 1.69 एवं 1.25 एकड़ भूमि कुल रकबा 2.94 एकड़ भूमि को बाजार दर या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
खूँटी।